**भारत सरकार**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**न्याय विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 1476**

**जिसका उत्तर सोमवार, 5 दिसंबर, 2011 को दिया जाना है**

**xzke U;k;ky;**

**1476- Jherh Vhñ jRukckbZ %**

D;k **fof/k vkSj U;k;** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd %

¼d½ D;k ljdkj X;kjgoha iapo"khZ; ;kstuk dh 'ks"k vof/k esa fo'ks"kdj vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr vkSj vYila[;d ds ekeyksa dks lqy>kus gsrq iapk;r Lrj ij xzke U;k;ky;ksa dh LFkkiuk dj jgh gS (

¼[k½ ;fn gka] rks rRlac/kh C;kSjk D;k gS ( ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa (

¼x½ vc rd fdruh fuf/k;ka vkcafVr vkSj tkjh dh xb± ( vkSj

¼?k½ blds fy, D;k ekunaM viuk;s x;s \

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)**

**(क)** **और (ख)** जी हां । ग्राम न्यायालयों की सहायता के लिए स्कीम, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बनी रहेगी । तथापि, ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना, राज्य सरकार की अधिकारिता के अधीन है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों सहित सभी के विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है ।

1. अबतक ग्राम न्यायालयों के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की गई हैं ।

**(रुपए करोड़ में)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **आबंटन** | **जारी की गई** |
| 2009-10 | 11.00 | 13.47 |
| 2010-11 | 40.00 | 7.45 |
| 2011-12 | 150.00 | 0.88 |
| **कुल** | **201.00** | **21.80** |

**(घ)** विद्यमान स्कीम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, आवर्ती व्यय से संबंधित ग्राम न्यायालयों के प्रचालन के लिए पहले तीन वर्ष के लिए 3.20 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा अनावर्ती व्यय से संबंधित 18 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम न्यायालय की स्थापना को अधिसूचित करने की, इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की प्रति सहित न्याय विभाग को राज्य सरकार के सूचित करने पर 18.00 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की केन्द्रीय सहायता का 70और , ग्राम न्यायालय की स्थापना के व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम संदाय के रूप में राज्य सरकारों को जारी कर दिया जाएगा ।

इस संबंध में राज्य को केन्द्रीय सहायता का शेष 30और, राज्य सरकार के पहचान किए गए परिसरों में स्थापित किए जाने वाले ग्राम न्यायालयों के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर और ग्राम न्यायालयों के कार्यालय के उपयोग के लिए वाहन/कार्यालय उपस्कर/फर्नीचर/कम्प्यूटर आदि के क्रय किए जाने पर संवितरित किया जाएगा ।

पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार से पूर्व जारी की गई सहायताओं के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण की प्राप्ति पर जारी की जाएगी ।